HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3549/2026

Bhagirathram Alias Pataram S/o Dharmaram, Aged About 50 Years, Resident Of Punasa Tehsil Bhinmal District Jalore Rajasthan.
(Lodged In District Jail, Barmer)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री रमेश कुमार बिश्नोई
For Respondent(s)	:	श्री प्रेम सिंह पंवार, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

<u>Order</u>

<u>25/03/2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना– सदर बाडमेर, जिला– बाडमेर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**192/2024** अपराध अन्तर्गत **धारा 8/15, 8/25 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 8/25 सपठित धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा उक्त वाहन इकरारनामे के द्वारा मोतीसिंह को बेचान कर दिया गया था और मोतीसिंह द्वारा उक्त वाहन को चेलाराम के पक्ष में इकरारनामा व पावर ऑफ अर्टानी निष्पादित की गयी थी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त वाहन में अवैध रूप से पायी गयी मादक पदार्थ डोडा पोस्त को परिवहन करने में प्रार्थी/अभियुक्त की कोई संबद्धता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.01.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के

अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गवाह हाथीसिंह के बयान में यह तथ्य आया है कि उक्त विवादित वाहन प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जरिये इकरारनामा मोतीसिंह को बेचा गया है और मोतीसिंह द्वारा फिर चेलाराम के पक्ष में पावर ऑफ अर्टानी निष्पादित की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **भागीरथराम उर्फ पाताराम पुत्र धर्माराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

42-Dhanraj Jajoria /-